रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 680] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 27, 2016/आश्विन 5, 1938
No. 680] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 27, 2016/ASVINA 5, 1938

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 918(अ).—प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 का आगे और संशोधन करने के लिए भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 501(अ) दिनांक 12 मई, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड-3 उप-खण्ड (ii) में दिनांक 12 मई, 2016 को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 (1958 का 24) की धारा 38 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार कतिपय नियमों का प्रारूप ऐसे व्यक्तियों, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, के सूचनार्थ प्रकाशित किया गया था और नोटिस दिया गया था कि उक्त प्रारूप नियम की राजपत्र में प्रकाशित प्रतियों को आम जनता को उपलब्ध कराने की तिथि से 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात कार्यान्वियत किया जाएगा और तदनुसार उक्त राजपत्र को दिनांक 12 मई, 2016 को पब्लिक डोमेन में रखा गया था।

फोटोग्राफरों के प्रभावी प्रबंधन और केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के परिसरों में विसंकुलन करने और इस प्रकार पर्यटकों के लिए उच्च स्तरीय सेवा सुनिश्चित करने हेतु नियम 8(घ) में संशोधन किया जा रहा है। इन नियमों के तहत किसी लाइसेंसधारी फोटोग्राफर को दिशा-निर्देशों के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शपथपत्र के रूप में वचन प्रस्तुत करने के अलावा क्या करें, क्या ना करें का कठोरता से अनुपालन करना होगा।

और जबकि आम जनता से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया ;

अतः, अब प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 का आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :-